Hemvati Nandan Bahuguna Garhwal University

(A Central University)

हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय (केन्द्रीय विश्वविद्यालय)



HOSTEL INFORMATION BROCHURE & ADMISSION FORM (2021-22)

छात्रावास सूचना विवरणिका एवं आवेदन पत्र (2021-22)

Office of the Chief Hostel Warden Student Activities Centre (Room No. 302-303) HNB Garhwal University, Srinagar (Garhwal) - 246174, Uttarakhand

मुख्य छात्रावास अधीक्षक कार्यालय छात्र कार्यकलाप केन्द्र (कक्ष सं. 302-303) हे.न.ब. गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर (गढ़वाल) - 246174, उत्तराखण्ड

UNIVERSITY HOSTELS

Hostels for Girls

S. No.	Name of the Hostel	Location	Type of Accommodation in each Room	Number of Beds
1	Alaknanda Girls Hostel	Birla Campus, Srinagar	3-Seater	56
2	Bhagirathi Girls Hostel	Chauras Campus	3-Seater	150
3	Mandakini Girls Hostel	Chauras Campus	2-Seater	86
4	Ganga Higher Studies Hostel	Chauras Campus	2-Seater	28
5	Nanda Devi Research Hostel	Chauras Campus	1-Seater	50
6	Yamuna Girls Hostel	Chauras Campus	3-Seater	200
7	Saraswati Girls Hostel	Chauras Campus	2-Seater	50
8	Girls' Hostel	BGR Campus, Pauri	2-Seater	40
9	Balganga Girls' Hostel	SRT Campus, Badshahithaul, Tehri	4-Seater	96

Hostels for Boys

S. No.	Name of the Hostel	Location	Type of Accommodation in each Room	Number of Beds
1	Chaukhamba Boys Hostel	Birla Campus, Srinagar	3-Seater	84
2	Trishul Boys Hostel	Birla Campus, Srinagar	2-Seater	70
3	Babu Jag Jeevan Ram Boys Hostel	Birla Campus, Srinagar	2-Seater	38
4	Swami Vivekanand Hostel	Chauras Campus	2-Seater	90
5	Aryabhatt Research Hostel	Chauras Campus	1-Seater	47
6	Sri Dev Suman Hostel	Chauras Campus	2-Seater	90
7	Boys Hostel	BGR Campus, Pauri	2- Seater	90
8	Trihari Boys Hostel	SRT Campus, Badshahithaul, Tehri	3- Seater	284

विश्वविद्यालय के छात्रावास

महिला छात्रावास

क्र. सं.	छात्रावास का नाम	परिसर का नाम	आवास का प्रकार / प्रति कक्ष	कुल सीटें
1.	अलकनन्दा महिला छात्रावास	बिड़ला परिसर, श्रीनगर	तीन सीट	56
2.	भागीरथी महिला छात्रावास	चौरास परिसर	तीन सीट	150
3.	मन्दाकिनी महिला छात्रावास	चौरास परिसर	दो सीट	86
4.	गंगा हॉयर स्ट्डीज छात्रावास	चौरास परिसर	दो सीट	28
5.	नन्दा देवी शोध छात्रावास	चौरास परिसर	एक सीट	50
6.	यमुना महिला छात्रावास	चौरास परिसर	तीन सीट	200
7.	सरस्वती महिला छात्रावास	चौरास परिसर	दो सीट	50
8.	महिला छात्रावास	बी.जी.आर. परिसर, पौड़ी	दो सीट	40
9.	बालगंगा महिला छात्रावास	एस.आर.टी. परिसर, बादशाहीथौल, टिहरी	चार सीट	96

पुरुष छात्रावास

क्र. सं.	छात्रावास का नाम	परिसर का नाम	आवास का प्रकार/प्रति कक्ष	कुल सीटें
1.	चौखम्भा पुरुष छात्रावास	बिड़ला परिसर, श्रीनगर	तीन सीट	84
2.	त्रिशूल पुरुष छात्रावास	बिड़ला परिसर, श्रीनगर	दो सीट	70
3.	बाबू जगजीवनराम छात्रावास	बिड़ला परिसर, श्रीनगर	दो सीट	38
4.	स्वामी विवेकानन्द छात्रावास	चौरास परिसर	दो सीट	90
5.	आर्यभट्ट शोध छात्रावास	चौरास परिसर	एक सीट	47
6.	श्रीदेव सुमन छात्रावास	चौरास परिसर	दो सीट	90
7.	पुरुष छात्रावास	बी.जी.आर. परिसर, पौड़ी	दो सीट	90
8.	त्रिहरि पुरुष छात्रावास	स्वामी राम तीर्थ परिसर, बादशाहीथौल, टिहरी	तीन सीट	284

HOSTEL ADMINISTRATION

The various Hostels of the University are managed and governed by a team of Wardens working under the supervision of the Chief Warden and patronage of the Vice-Chancellor. The offices of the various wardens are located in the respective hostels supervised by them, and the office of the Chief Warden is located in the Students Activity Centre, Birla Campus, HNB Garhwal University, Srinagar. The administrative structure of the hostels are as below:

Patron Prof. Annpurna Nautival, Vice-Chancellor

Chief Warden Prof. Deepak Kumar

(M) 8650050639, 01346 –250752 (Office)

Deputy Chief Warden Dr. Anuja Rawat

(M) 8053347946

Hostel Superintendents

Srinagar Campus

Dr. M.S. Sati- Chaukhamba Boy's Hostel

(M) 7500562186

Dr. Alok Sagar Gautam- B.J.J.R. Boy's Hostel

(M) 9997138763

Dr. Devendra Singh-Trishul Boy's Hostel

(M) 9410900677

Dr. Babita Patni - Alaknanda Girls' Hostel

(M) 07895630389

Chauras Campus

Dr. Anuja Rawat - Nanda Devi Girls' Hostel

(M) 8053347946

Dr. Asha-Yamuna Girls' Hostel

(M) 9839692455

Dr. Kiran Verma- Mandakini Girls' Hostel

(M) 9045057620

Dr. Shweta Verma - Bhagirathi Girls' Hostel

(M) 8802141850

Dr. Sarla Saklani - Ganga Higher Studies Hostel

(M) 9456155255

Dr. Ashutosh Gupta- Aryabhatt Research Hostel

(M) 9410024655

Dr. Brijesh Gangil- Swami Vivekanand Boys Hostel

(M) 9450082298

Dr. Surendra Kumar Meena- Sridev Suman Boys' Hostel

(M) 8057492810

Dr. Vidhu Gupta- Saraswati Girls' Hostel

(M) 9453565943

4

BGR Campus, Pauri

Dr. C.B. Kotnala - Boys' Hostel

01368-222716 , (M) 9412407111 **Dr. Smt. Laxmi Kondel -** Girls' Hostel

(M) 9411536393

SRT Campus, Badsahithaul, Tehri

Dr. Sankar Lal

Dv. Chief Hostel Warden

(M) 9411316082

Dr. Sudhir Kumar Chaturvedi

Hostel Warden (Boys)

(M) 8765109702

Mr. Ashutosh Prabhakar

Hostel Warden (Boys)

(M) 8791882468

Dr. Indra Singh

Hostel Warden (Girls)

Mob. 8445668556

छात्रावास प्रशासन

विश्वविद्यालय के विभिन्न छात्रावासों का प्रबन्ध तथा प्रशासन मुख्य छात्रावास अधीक्षक के पर्यवेक्षण तथा कुलपित महोदय के संरक्षण में छात्रावास अधीक्षकों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। छात्रावास अधीक्षकों के कार्यालय छात्रावासों में स्थित हैं तथा मुख्य छात्रावास अधीक्षक का कार्यालय विश्वविद्यालय के बिड़ला पिरसर, श्रीनगर के छात्र कार्यकलाप केन्द्र के द्वितीय तल पर स्थित है। छात्रावासों की प्रशासनिक संरचना वर्तमान में निम्नवत् है:-

संरक्षक प्रो. अन्नपूर्णा नौटियाल, कुलपति

मुख्य छात्रावास अधीक्षक प्रो० दीपक कुमार 8650050639 (मो.) 01346-250752 (कार्यालय)

> उप मुख्य छात्रावास अधीक्षक डॉ० अनुजा रावत 8053347946 (मो.)

छात्रावास अधीक्षक/अधीक्षिकायें

श्रीनगर परिसर

डॉ. एम.एस. सती-चौखम्भा स्नातक पुरुष छात्रावास

मो.-7500562186

डॉ. आलोक सागर गौतम- बी०जे०जे०आर० छात्रावास

मो.- 9997138763

डॉ. देवेन्द्र सिंह - त्रिशूल पुरुष छात्रावास

मो. - 9410900677

डॉ. बबीता पाटनी - अलकन्दा महिला छात्रावास

मो.- 07895630389

चौरास परिसर

डॉ. अनुजा रावत- नन्दा देवी महिला छात्रावास

मो.- 8053347946

डॉ. आशा- यमुना महिला छात्रावास

मो.- 9839692455

डॉ. किरन वर्मा - मन्दाकिनी महिला छात्रावास

मो.-9045057620

डॉ. श्वेता वर्मा - भागीरथी महिला छात्रावास

मो.- 8802141850

डॉ. सरला सकलानी- गंगा हॉयर स्टडीज छात्रावास

मो.- 9456155255

डॉ. आश्तोष गुप्ता- आर्यभट्ट शोध छात्रावास

मो.- 9410024655

डॉ. बुजेश गांगिल-स्वामी विवेकानन्द छात्रावास

मो.-9450082298

डॉ. सुरेन्द्र कुमार मीणा- श्रीदेव सुमन पुरुष छात्रावास

मो.- 8057492810

डॉ. विधु गुप्ता -सरस्वती महिला छात्रावास

मो.- 9453565943

हे,न.ब.ग. वि.वि. छात्रावास विवरणिका 2021-22

बी.जी.आर. परिसर, पौड़ी

डॉ. सी.बी. कोटनाला - पुरुष छात्रावास

मो.- 9412407111

01368-222716 (आवास),मो.-91-9412471754

डॉ. श्रीमती लक्ष्मी कोन्डेल- महिला छात्रावास

मो.- 91-9411536393

स्वामी राम तीर्थ परिसर, बादशाहीथौल, टिहरी

डॉ. शंकर लाल

(उप छात्रावास अधीक्षक)

मो.- 9411316082

डॉ. सुधीर कुमार चर्तुवेदी

(पुरुष छात्रावास अधीक्षक)

मो.- 87651097102

डॉ. आशुतोष प्रभाकर

(पुरुष छात्रावास अधीक्षक)

मो.- 8791882468

डॉ. इन्द्रा सिंह

(महिला छात्रावास अधीक्षक)

मो.- 8445668556

Eligibility Criteria and Admission Rules

A student desirous of seeking admission to a hostel of the University should apply through the prescribed application form appended with this Hostel Admission Brochure. The duly filled Hostel Admission Form has to be submitted to the Office of the Chief Warden before the last date notified on the Notice Board of Chief Hostel Warden's Office / Campus. Applications submitted after the said last date shall not be entertained, and summarily rejected.

Admissions to the various hostels shall be made in accordance with rules determined by the Hostel Administration and shall be subject to the availability of accommodation.

Accommodation in the various hostels shall be allotted as per the reservation provisions of UGC & Govt. of India.

Admissions to the various hostels shall be completed strictly as per rules and regulations displayed on hostel office notice board and shall be subject to the following rules:

- 1. Only such students, who might have been admitted to a course/Programme of the University with course duration of one year or more, shall be considered for admission in a hostel of the University.
- 2. A student shall not be considered for admission to a Hostel of the University unless he/ she might have secured at least 55% marks (5% relaxation to SC/ST) in the Qualifying Examination in respect of the Course/Programme to which he/she might have been admitted.
- 3. Any student, whose parents might be residing in, or in the immediate vicinity, i.e., within 5 Km. of the Campus, shall not be considered for admission to a hostel of the University.
- **4.** Any student, who might be in full time/part time/adhoc/temporary employment, shall not be considered for admission to a hostel of the University. However, Research Scholars employed in the Research/Consultancy Project in the University in a research capacity, or students employed/engaged for short duration under any Research/Consultancy involving field-work shall be exempted from this restriction.
- 5. Any student, who has been expelled from a hostel of the University for misconduct, or an act of indiscipline, or having indulged in ragging or breach of the rules of residence in the hostels of the University shall not be considered for admission to a hostel of the University again.
- 6. Admissions to the various hostels of the University shall be granted strictly in accordance with the order of merit of the various applicants calculated on the basis of the formula to be developed for the purpose. However, in case of Research Scholars their research seniority shall also be taken into account in addition to their relative merit for admission to a hostel of the University.
- 7. The allotment of seats in hostels for Pre-Ph.D./Ph.D. scholars will be decided department-wise at the proportion of availability of seats, by the Hostel Admission Committee. The reservation to the total available seats will be in accordance with the rules of the Central Government as well as the UGC. The Pre-Ph.D. scholars will be initially allotted rooms for a period of six months only. However, scholars will be allowed to retain occupancy of their rooms that choose to pursue Ph.D. programme with the guide in Srinagar Campus, and will produce a certificate from their guides affirming the same. The rest of the Pre-Ph.D. students will have to vacate the hostel immediately after the course with exam over and rest of this scholars who will complete their research work from this campus, shall have to vacant the hostel immediately after the submission of their thesis.
- 8. Names of the students granted admission to a hostel shall be displayed on the Hostel/University Notice Board and no separate communication shall be made.
- 9. Students granted admission to a hostel shall have to deposit the prescribed hostel fee by the last date notified for the purpose. The admission of the students shall be cancelled automatically, if he/she fails in depositing the prescribed fees in specified period.
- 10. Admission to the hostel of the University shall be granted for the duration of one Academic Session only. However, students once admitted to the hostel, shall be given preference in allotment of hostel accommodation for the remaining duration of the course being pursued by them every year, provided that they might have passed their Annual Examination and their conduct during their stay in the hostel might have been found satisfactory.
- 11. Students admitted to a hostel of the University shall have to vacate the hostel at the end of the Academic Session, every year and seek a fresh admission to a hostel of the University for the ensuing Academic Session.
- 12. A student who has been residing in the hostel of the University during the preceding Academic Session shall not be considered for allotment of hostel accommodation unless he/she has not passed the previous examination and will have to submits a fresh application in the prescribed Hostel Admission Form for admission to a hostel of the University by the last date notified in respect of the Academic Session concerned.
- 13(a). No student shall be admitted to a hostel of the University if he/she has completed the maximum duration of residence in a hostel in respect of the course being pursued by him/her as specified below:-

अर्हतायें तथा प्रवेश नियम

विश्वविद्यालय के छात्रावासों में प्रवेश के इच्छुक छात्र/छात्राओं को विवरणिका के अंत में संलग्न प्रवेश आवेदन पत्र पर औपचारिक आवेदन करना होगा। पूर्णतः भरे हुये आवेदनों को मुख्य छात्रावास अधीक्षक के कार्यालय में जमा करने की अंतिम तिथि, जो कि मुख्य छात्रावास कार्यालय तथा पिरसर के सूचना पट्टों पर सूचित की जायेगी, से पूर्व जमा किया जाना चाहिये। आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि के पश्चात जमा होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा और उन्हें निरस्त माना जायेगा। छात्रावासों में (उपलब्ध सीटों पर) प्रवेश छात्रावास प्रशासन द्वारा निर्धारित नियमों के आधार पर होंगे।

छात्रावासों में आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु सीटों का आरक्षण यू०जी०सी० तथा भारत सरकार द्वारा समय-समय पर किये गये प्रावधानों के अनुसार होगा। सभी छात्रावासों में प्रवेश प्रक्रिया छात्रावास कार्यालय के नियमानुसार पूर्ण की जायेगी तथा प्रवेश निम्न नियमों के अधीन होगा-

- 1- छात्रावासों में प्रवेश हेतु उन्हीं छात्रों के आवेदन पत्रों पर विचार किया जायेगा, जो विश्वविद्यालय के एक वर्ष या उससे अधिक अविध के पाठ्यक्रमों/कक्षाओं में प्रवेश पा चुके हों।
- 2- जिन छात्रों ने सम्बन्धित कक्षाओं/पाठ्यक्रमों हेतु अर्हता परीक्षा में 55 प्रतिशत अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त किये हों, वे अभ्यर्थी छात्रावास में प्रवेश हेतु योग्य होंगे, तथापि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को इस नियम में 5 प्रतिशत अंकों की छूट होगी।
- 3- जिन छात्रों के माता-पिता विश्वविद्यालय परिसरों से 5 किमी. दूरी की परिधि के अन्तर्गत निवास करते हों, को छात्रावास की सुविधा प्रदान नहीं होगी।
- 4- ऐसे छात्र जो पूर्णकालिक/अंशकालिक/तदर्थ/अस्थायी रोजगार में हों, छात्रावास में प्रवेश के अधिकारी नहीं होंगे, किन्तु विश्वविद्यालय में किसी पिरयोजना के अधीन शोध दायित्वों के निर्वहन हेतु शोध छात्रों तथा ऐसे छात्रों जो विश्वविद्यालय की पिरयोजनाओं में फील्ड वर्क हेतु लघु अविध के लिए कार्यरत हों, पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
- 5- ऐसे छात्र जो कि पूर्व में दुर्व्यवहार अथवा अनुशासनहीनता अथवा रैगिंग में संलिप्तता अथवा विश्वविद्यालय के छात्रावासों के नियमों का पालन न करने के कारण छात्रावास से निष्कासित किये गये हों, ऐसे अभ्यर्थियों को किसी भी दशा में छात्रावासों में पुन: प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
- 6- छात्रावासों में प्रवेश निर्धारित मापदण्डों के आधार पर निकाली गई विरष्ठता सूची के अनुसार ही किये जायेगें, तथापि शोध-छात्रों के आवेदन पत्रों पर विचार करते समय उनकी शोध विरष्ठता को भी ध्यान में रखा जायेगा।
- 7- प्री-पीएच.डी./एम.फिल./पीएच.डी. के छात्रों को सीटों का आवंटन विभागों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा, जिसका निर्धारण छात्रावास प्रवेश सिमित द्वारा विभागों की संख्या एवं छात्रावासों में उपलब्ध सीटों की संख्या के अनुपात में किया जायेगा। छात्रावास में प्रवेश हेतु आरक्षण का निर्धारण केन्द्र सरकार एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों के तहत किया जायेगा। प्री-पीएच.डी. छात्रों के लिये प्रारम्भिक स्थिति में केवल छ: माह के लिये छात्रावास में सीट आवंटित की जायेंगी तथा वे शोध छात्र जो विश्वविद्यालय परिसर श्रीनगर में आवंटित शोध निर्देशक के साथ अपने शोध कार्य को निरन्तर जारी रखेंगे, उन्हें पूर्व में आवंटित सीट का आवंटन पुन: कर दिया जायेगा, अन्य प्री-पीएच.डी. छात्रों को प्री-पीएच.डी. पाठ्यक्रम की परीक्षा समाप्त होते ही छात्रावास खाली करना होगा। अन्य शोधार्थियों को शोधग्रंथ जमा करने के तुरन्त बाद ही छात्रावास खाली करना होगा।
- 8- जिन छात्रों को छात्रावास में प्रवेश प्रदान किया जायेगा, उनका नाम मुख्य छात्रावास कार्यालय एवं पिरसर के सूचना पट्टों पर प्रदर्शित किया जायेगा तथा उन्हें अलग से कोई सुचना नहीं दी जायेगी।
- 9- जिन छात्रों को प्रवेश दिया जायेगा, उन्हें छात्रावास शुल्क अन्तिम निर्धारित तिथि तक जमा करना होगा। निर्धारित अवधि की अन्तिम तिथि तक शुल्क जमा न करने की दशा में उसका प्रवेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
- 10- छात्रावास में प्रवेश एक समय में एक ही शिक्षा सत्र के लिये दिया जायेगा, तथापि जिस छात्र को एक बार प्रवेश दिया जा चुका होगा, उसे पाठ्यक्रम पूरा होने तक अन्य वर्षों में छात्रावास में प्रवेश हेतु वरीयता दी जायेगी, बशर्ते छात्र ने वार्षिक परीक्षा उर्त्तीण की हों, तथा उसका व्यवहार छात्रावास में निवास की अविध में संतोषजनक रहा हो।
- 11- प्रत्येक छात्र को शिक्षा सत्र समाप्ति पर छात्रावास पूर्णतः खाली करना होगा तथा नवीन सत्र में छात्रावास में प्रवेश हेतु पुनः आवेदन करना होगा।
- 12- किसी सत्र में छात्रावास में प्रवेश पा चुके छात्र को आगामी सत्र के लिये तब तक पुन: प्रवेश नहीं दिया जायेगा जब तक कि उसने निर्धारित आवेदन पत्र पर प्रवेश हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि से पूर्व पुन: आवेदन न किया हो और वह विगत वर्ष की परीक्षा में अनुत्तीर्ण न हुआ हो।
- 13- किसी भी छात्र को किसी पाठ्यक्रम विशेष के लिये निर्धारित अधिकतम समयावधि तक छात्रावास में निवास करने के बाद पुन: छात्रावास में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु निर्धारित अविधि निम्नवत् है-

Under Graduate Courses – 3 Years, Post Graduate Courses – 2 Years,

Professional Courses – as per the duration of the course concerned,

Integrated Courses – 5 Years PG Diploma Courses – 1 Year, Pre-Ph.D. 6 months,

Ph.D. – 5 Years from the date of registration only. However in special cases by

the permission of competent authority duration might be exceed for only

one year.

- **14.** The maximum duration of residence in a hostel of the University shall be subject to the following additional provisions:-
- 14(a) A student admitted to a hostel on or later date than the commencement of the course being pursued by him/her, shall be eligible to admission to the hostel for only the residual duration of the session/programme concerned. This means that a student of Under Graduate class admitted to a hostel in the second/third year of the course being pursued may reside in a hostel for only 2/1 year(s), respectively, as the case may be; a student of Post Graduate class admitted to a hostel in the second year of the course being pursued may reside in a hostel for only 1 year, a Research Scholar admitted to a hostel during the second/third/fourth year of his/her research may reside in a hostel for only 4/3/2 year(s), respectively, as the case may be, and so on.
- 14(b) A student admitted to a hostel shall have to vacate the hostel immediately after
 - i. Completion of the annual examinations,
 - ii. After the accomplishment of Pre Ph.D. Examinations.
 - iii. Ph.D. Students after the complition of 05 years or submission their thesis.
 - iv. After the comletion of duration of the course.
 - v. In winter and summer vacation.
- **14(c)** A Research Scholar residing in a hostel of the University shall have to submit a certificate from his/her supervisor, countersigned by the Head of the Department, in the month of July every year, stating that the Research Scholar is pursuing his/her research on a fulltime basis, that his/her progress is satisfactory and he/she has not taken up any paid fulltime/part time/adhoc/temporary job.
- **15(a)** Research scholar shall have to take no dues certificate from their concering warden, as well as Chief Hostel Warden office before the submission of his/her thesis.
- **15(b)** A student might be given admission or denied admission in a hostel shall be decided by the hostel admission committee.

Structure of Fee and Schedule of Payment

Students admitted to a hostel of the University shall have to pay the following fees:

A-Annual Fee

S. No.	Item	Fee for Boys' hostel (in Rs.)	Fee for Research Boys' Hostel (in Rs.)	Fee for Girls'hostel (in Rs.)	Fee for Research Girls' hostel (in Rs.)	Fee for Higher Studies Girls' Hostel (in Rs.)
1	Admission Fee	30/-	30/-	30/-	30/-	30/-
2	I- Card Charges	40/-	40/-	40/-	40/-	40/
3	Caution Money (Refundable)	1000/-	1000/-	1000/-	1000/-	1000/-
4	Record Book Charges	_	_	30/-	30/-	30/-
	Total (Rs.)	1070/-	1070/-	1100/-	1100/-	1100/-

स्नातक पाठ्यक्रमों हेतु – 3 वर्ष, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु – 2 वर्ष,

व्यावसायिक पाठ्यक्रमों हेतु - पाठ्यक्रम की निर्धारित अवधि के अनुसार,

संयुक्त पाठ्यक्रमों हेतु - 5 वर्ष, स्नातकोत्तर डिप्लोमा - 1 वर्ष, प्री-पीएच.डी. - 6 माह,

पीएच.डी. - पंजीकरण तिथि से 5 वर्ष या शोध ग्रंथ जमा करने तक (जो भी पहले हो)यद्यपि

विशेष परिस्थितियों में सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त एक वर्ष तक की अवधि

बढ़ाई जा सकती है।

14. छात्रावास में अधिकतम अवधि के लिए निवास करना निम्नलिखित अतिरिक्त उपबन्धों के अधीन होगा।

14(अ) किसी छात्र/छात्रा को यदि उसके आवेदन पर किसी पाठ्यक्रम के प्रारंभ होने के बाद छात्रावास में प्रवेश दिया जाता है तो वह उस सत्र/पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित शेष अविध तक के लिए ही छात्रावास में निवास कर सकेगा। अर्थात् यदि कोई छात्र स्नातक कक्षाओं के द्वितीय अथवा तृतीय वर्ष में छात्रावास में प्रवेश प्राप्त करता है तो वह क्रमश: दो अथवा एक वर्ष के लिए ही छात्रावास में निवास कर सकेगा। स्नातकोत्तर कक्षा के द्वितीय वर्ष में प्रवेश प्राप्त करने वाले छात्र के लिए छात्रावास में निवास की अविध सिर्फ एक वर्ष होगी। शोध छात्रों के लिए पंजीकरण की तिथि से द्वितीय, तृतीय अथवा चतुर्थ वर्ष में प्रवेश करने की दशा में वह चार/तीन/दो वर्ष के लिए ही छात्रावास में रह सकेगा।

14(ब) छात्रावास में प्रवेश प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राओं को निम्नलिखित दशाओं में छात्रावास खाली करना होगा-

(i) अकादिमक सत्र समाप्त होने पर,

(ii) प्री- पीएच.डी. परीक्षा समाप्त होने पर,

(iii) पीएच.डी. शोध ग्रंथ जमा करने पर,

(iv) पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित समय सीमा समाप्त होने पर,

- (v) शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन अवकाश में।
- 14(स) किसी भी छात्रावास में निवास करने वाले शोध छात्र/छात्रा को अनिवार्यत: प्रत्येक वर्ष जुलाई माह में अपने शोध निर्देशक से, जो कि विभागाध्यक्ष से प्रतिहस्ताक्षरित हो, इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह पूर्णकालिक शोध छात्र के रूप में कार्य कर रहा/रही है, एवं शोध कार्य की प्रगति संतोषजनक है तथा वह किसी भी प्रकार के तदर्थ/अस्थायी नौकरी के लिये भुगतान प्राप्त नहीं कर रहा/रही है।
- 15(अ) शोध छात्र/छात्रा को शोध प्रबंध जमा करने से पहले सम्बन्धित छात्रावास अधीक्षक एवं मुख्य छात्रावास अधीक्षक कार्यालय से अदेय प्रमाण पत्र लेना होगा।
 - (ब) किसी भी छात्र/छात्रा को छात्रावास में प्रवेश देने या न देने का अधिकार छात्रावास प्रवेश सिमिति का होगा।

शुल्क की प्रकृति एवं भुगतान विधि

छात्रावास में प्रवेश करने वाले छात्र/छात्राओं को निम्नवत् शुल्क जमा करना होगा-

(अ) वार्षिक शुल्क

क्र.सं.	मद	पुरुष छात्रावास (रु0 में)	पुरुष शोध छात्रावास, (रु0 में)	महिला छात्रावास (रु0 में)	महिला शोध छात्रावास (रु0 में)	महिला हायर स्ट्डीज छात्रावास (रू0 में)
1-	प्रवेश शुल्क	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
2-	परिचय पत्र	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00
3-	प्रतिभूति शुल्क	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00
4-	रिकॉर्ड बुक	•••••	•••••	30.00	30.00	30.00
	योग(रू0)	1070.00	1070.00	1100.00	1100.00	1100.00

B-Monthly Fee for the Hostels

S. No.	Item	3-Seater Accommodation (Rs.)	2-Seater Accommodation (Rs.)	1-Seater Accommodation (Rs.)	Higher Studies Girls Hostel (Rs.)
1	Room Rent	100/-	130/-	200/-	250/-
2	Electricity Charges	60/-	70/-	80/-	100/-
3	Common Room Charges	25/-	25/-	25/-	25/-
4	Sports Fee	25/-	25/-	25/-	25/-
5	Other Amenities Charges	30/-	30/-	30/-	30/-
	Total (Rs.)	240/-	280/-	360/-	430/-

- 16. Students admitted to a hostel shall have to pay the Annual Fee for the entire session (one year) at the time of admission.
- 17. If any Hostler vacates the hostel of his/her own volition in mid session, in that case deposited hostel fee will not be refunded.
- 18. Research Scholars admitted to hostels and receiving Fellowships from the UGC/ICSSR/CSIR/ICAR or any other organization or under any scheme of the Government or out of the funds of a Research/Consultancy Project in the University, shall not be entitled for HRA.
- 19. To run the mess functioning smoothly in every hostel shall be provide on the co-operative basis.

20. Rules and Instructions of Residence in a Hostel of the University

A student admitted to a hostel of the University shall have to abide by the following rules/ instructions and a breach of the rules of residence in the hostel shall render the defaulting student liable for cancellation of his/her admission and removal/expulsion from the hostel.

- 1. No student may bring into a hostel or keep on the premises of a hostel any fire arms or any other lethal weapon(s) including knives with blades longer than 6 cm., metal rods/chains and lathies.
- 2. No student might bring into a hostel or keep on the premises of a hostel any pornographic or other obscene literature, photograph, video, film or analogous material.
- 3. No student is allowed to bring or keep on the hostel premises, or consume in the hostel premises, or enter the hostel premises after consuming any alcoholic beverages, narcotic substance, psychotropic substance, or other intoxicant whether natural or synthetic. If any would be caught, will be punished rigorously, and will be handed over to the police for further criminal proceedings.
- 4. No student is allowed to keep in the hostel premises any inflammable substances like LPG, kerosene, petrol, diesel, etc.
- 5. No boarder is allowed to keep with him/her any electronic gadgets (including radios, television sets, tape recorders, digital cameras, camcorders and the like), jewelery or other valuable articles in the hostel premises.
- 6. No boarder is allowed to use electrical appliances like heaters, ovens, hot plates etc. in the hostel.
- 7. No boarder is allowed to cook food in the University hostel rooms.
- 8. No boarder is allowed to deface or otherwise damage hostel property including furniture, water purifiers, water cooler, fittings, fixtures, etc. In case, a boarder is found involved in such activities, he/she shall be expelled from the hostel and shall be entitled for disciplinary action. However, if the student(s) involved in such activity is not identified, a gross amount after assessment of the damage shall be recovered from all the boarders of that Hostel.

(ब) मासिक शुल्क

क्र.	मद	तीन सीट	दो सीट	एक सीट	महिला हायर स्ट्डीज
सं.		(रु.)	(रु.)	(रु.)	(रु.)
1.	कमरे का किराया	100.00	130.00	200.00	250.00
2.	विद्युत शुल्क	60.00	70.00	80.00	100.00
3.	कॉमन रूम शुल्क	25.00	25.00	25.00	25.00
4.	क्रीड़ा शुल्क	25.00	25.00	25.00	25.00
5.	अन्य साधन / सुविधा शुल्क	30.00	30.00	30.00	30.00
	योग (रु० में)	240.00	280.00	360.00	430.00

- 16. छात्रावास में प्रवेश प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राओं को पूर्ण सत्र (एक वर्ष) का शुल्क प्रवेश के समय ही जमा करना होगा। (प्री-पीएच.डी. पाठ्यक्रम के छात्रों के लिए छ: माह)।
- 17. सत्र के मध्य में यदि कोई छात्र/छात्रा स्वंय ही छात्रावास खाली करता/करती है तो उसे किसी भी दशा में जमा किया हुआ शुल्क वापस नहीं होगा।
- 18. छात्रावास में निवास करने वाले ऐसे शोध छात्र जिनको किसी भी संस्था अथवा ऐजेन्सी से अध्येतावृत्ति प्राप्त होती है तो उनके अध्येतावृत्ति के साथ मिलने वाला आवासीय भत्ता देय नहीं होगा।
- 19. सभी छात्रावासों में भोजनालय की व्यवस्था सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए व्यवस्था सहकारिता (co-operative) आधार पर की जाएगी।

20. विश्वविद्यालय के छात्रावासों में आवास के नियम एवं निर्देश

प्रत्येक छात्र/छात्रा को, जिसका छात्रावास में प्रवेश हो जाता है उसे निम्नलिखित नियमों/निर्देशों का पालन करना होगा। छात्रावास नियम की अवेहलना करने की दशा में छात्र/छात्रा को छात्रावास में रहने के लिये अयोग्य मानते हुए उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा और उसे छात्रावास से हटाया /निष्कासित कर दिया जायेगा।

- कोई भी छात्र/छात्रा किसी भी छात्रावास में किसी प्रकार का आग्नेय शस्त्र अथवा अन्य घातक शस्त्र जिनमें 6 सेमी से अधिक लम्बाई वाले चाकू, लोहे की छड़े, जंजीरें एवं लाठियाँ सम्मिलित हैं, न ही लायेंगे और न ही रखेंगे।
- 2. छात्रावास परिसर में किसी भी तरह का अश्लील साहित्य, चित्र, वीडियो अथवा फिल्म रखने या लाने पर पूर्ण प्रतिबन्ध है।
- 3. छात्रावास परिसर में धूम्रपान या मादक द्रव्यों के सेवन अथवा संग्रहण या बाहर से सेवन कर छात्रावास में प्रवेश करने पर पूर्ण प्रतिबन्ध है। पकड़े जाने की स्थिति में दण्डात्मक (पुलिस) कार्यवाही की जायेगी।
- 4. छात्रावास कक्षों में ज्वलनशील पदार्थों जैसे-एल.पी.जी.,केरोसिन, डीजल, पेट्रोल आदि लाने अथवा रखने पर पूर्ण प्रतिबंध है।
- 5. छात्रावास में निवास करने वाला कोई भी छात्र अपने पास बहुमूल्य वस्तुयें, (जैसे रेडियो, टेलीविजन, टेपरिकार्डर, डिजिटल कैमरा आदि), जेवरात या अन्य सामग्री नहीं रखेगा।
- 6. छात्रावास में किसी भी प्रकार का विद्युत उपकरण जैसे–हीटर, ओवन, हॉट प्लेट, इमरसन रॉड इत्यादि का उपयोग अथवा रखना पूर्णरूप से प्रतिबंधित है।
- छात्रावास के कक्षों में खाना बनाना पूर्णत: प्रतिबन्धित है।
- 8. कोई भी छात्रावासी छात्रावास की सम्पत्ति यथा-फर्नीचर, वाटर प्यूरिफायर, वॉटर कूलर, बिजली के उपकरण, छात्रावास के भवन को क्षित नहीं पहुँचायेगा। कोई भी छात्र/छात्रा इस प्रकार की गितिविधियां करते हुए पाया जाता है तो उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही तथा आर्थिक दण्ड भी आरोपित करते हुए उसका छात्रावास से निष्कासन कर दिया जायेगा। यदि उक्त गितिविधि में छात्र की पहचान नहीं होती है तो हानि का वित्तीय आंकलन करते हुए निर्धारित राशि उस छात्रावास के समस्त छात्रों से वसूल की जायेगी।

- 9. No boarder is allowed to remove any article or furniture from a hostel premises or bring in any such article without having any prior written permission from the Warden, In-charge of the hostel.
- 10. No boarder is allowed to remove newspapers, magazines or other reading materials from the common room, or damage or distort them.
- 11. Men shall not be permitted to enter the premises of a Girls' hostel without the prior written authorisation granted by the Warden of the hostel and/or the Chief Warden. However, some persons related to necessary services may be allowed to enter for the purposes of repair and maintenance, sanitary cleaning, catering and other similar services. Similarly, women and girls are barred from entering Boys' hostel. Any violation of this rule will be treated as criminal trespass and shall be punished not only under the discipline rules of the University but shall also liable of criminal proceedings.
- 12. Visitors (Parents/Local Guardians and close relatives) shall be permitted or entertained only in the specified visiting hours, i.e., 4.00 P.M. to 5.00 P.M. on working days; and between 11.00 A.M. and 5.00 P.M. on Sundays and holidays.
- 13. No boarder is allowed to shift from the room allotted to him/her to another room in the hostel without obtaining a written permission from the Warden.
- 14. No boarder may leave station without informing the Warden in writing.
- 15. No boarder is allowed to stay away from the hostel at night on the pretext of being on an educational tour without submitting a prior written communication to this effect from the Head of the Department concerned
- 16. No boarder is allowed to remain away from the hostel beyond the time fixed for closing the main gates of the hostel on any pretext whatsoever. The main gates of Girls' hostels shall close at 6 PM in winters and 7 PM in summers and Boys' hostels shall close at 7 PM in winters and 9 PM in summers. However, time schedule for closing the main gate of various Hostels in Pauri and Badshahithaul Campus may vary as per the climatic condition. A Research Scholar has also to follow the same time binding unless he/she submits an application signed by his/her supervisor for extra working hours, maximum till 9 PM.
- 17. No boarder is allowed to indulge in ragging or aid/abet or assist in acts of ragging in the hostel premises. Any act of ragging in the hostel premises shall be deemed to be a criminal offence and shall be punishable in accordance with rules specified in the prospectus of the University.
- 18. No boarder is allowed to cause the hostel premises to be used for any political purpose including holding meetings, preparing campaign materials, and stocking/displaying banners, posters, playcards, stickers, etc. A violation of this rule shall render the violator liable to the severest punishment under the discipline rules of the University.
- 19. The Girls' Hostlers will be held responsible for the information provided in the outbook/record book. If this information is found incorrect or misleading serious action will be taken against the hostler.
- 20. No boarder may commit any act outraging the modesty of any person or an act amounting to sexual harassment.
- 21. All boarders are required to communicate any change in the address and phone number of their parents or local guardian immediately to Office of the Warden.
- 22. Boarders who might happen to take up any productive employment whether full time, part time, ad-hoc or temporary, are required to report the fact to the Warden immediately.

- 9. कोई भी छात्रावासी छात्र/छात्रा छात्रावास से फर्नीचर इत्यादि न तो हटा सकता है और ना ही बिना पूर्व अनुमित के छात्रावास में ला सकता/सकती है।
- 10. छात्रावास के कॉमन कक्ष से समाचार पत्र, पत्रिकाओं तथा पठन साम्रगी को कोई भी छात्र/छात्रा अपने कक्षों में नहीं ले जायेगा/जायेगी तथा ना ही उन्हें क्षति पहुँचायेगा/पहुँचायेगी।
- 11. मिहला छात्रावासों में पुरुष प्रवेश निषिद्ध है। परन्तु छात्रावास अधीक्षिका/मुख्य छात्रावास अधीक्षक की पूर्व लिखित अनुमित से मरम्मत, रख-रखाव, सफाई, भोजन पकाने अथवा समकक्ष सेवाओं को प्रदान करने हेतु निमित्त व्यक्ति को प्रवेश दिया जा सकेगा। इसी प्रकार पुरुष छात्रावासों में छात्राओं, महिलाओं एवं बालिकाओं का प्रवेश निषिद्ध होगा। इस नियम की अवहेलना को अपराधिक अनाधिकार प्रवेश माना जायेगा। जिसके निमित्त न केवल विश्वविद्यालय के अनुशासनों के अनुरूप अधीन दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी, वरन अपराधसम्मत कार्यवाही भी की जायेगी।
- 12. छात्रावास में रहने वाले छात्र/छात्राओं के माता-िपता, स्थानीय अभिभावक एवं निकट संबंधी किसी भी कार्य दिवस में सायं 4 से 5 बजे के मध्य, तथा रिववार एवं अवकाश के दिनों में सुबह 11 बजे से सायं 5 बजे तक छात्रावास में छात्रावास के छात्र/छात्राओं से मिल सकते हैं।
- 13. कोई भी छात्रावासी बिना पूर्व लिखित आदेश के उसके लिये आंवटित कक्ष से अन्य कक्ष में स्थानांतरित नहीं होगा।
- 14. कोई भी छात्रावासी छात्रावास अधीक्षक को लिखित सूचना दिये बिना स्टेशन नहीं छोड़ेगा।
- 15. कोई भी छात्रावासी छात्रावास से बाहर रात्रि निवास नहीं कर सकता बशर्ते कि वह किसी शैक्षणिक भ्रमण पर न हों, ऐसी दशा में सम्बन्धित विभागाध्यक्ष से लिखित पूर्व सूचना छात्रावास अधीक्षक/अधीक्षिका को देनी होगी।
- 16. कोई भी छात्र/छात्रा बिना छात्रावास अधीक्षक/अधीक्षिका के लिखित अनुमित के छात्रावास का मुख्य द्वार बन्द होने के बाद छात्रावास से बाहर नहीं रह सकता है। मिहला छात्रावासों में मुख्य द्वार शीतकाल में 6.00 बजे सांय तथा ग्रीष्मकाल में 7 बजे सायं बन्द हो जाते हैं। परन्तु बीजीआर परिसर पौड़ी तथा एसआरटी परिसर बादशाहीथौल में विभिन्न छात्रावासों में मुख्य द्वारों के बन्द होने का समय वहां की मौसमी परिस्थितियों के अनुसार भिन्न हो सकता है। शोधार्थियों को भी उपर्युक्त निर्धारित समय का अनुपालन करना होगा, विलम्ब से आने की स्थित में उन्हें अपने शोध निर्देशक से अग्रसारित कर अतिरिक्त समय के लिए आवेदन प्रस्तुत करना होगा, किन्तु अतिरिक्त समय की अविध अधिकतम रात्रि 9.00 बजे तक ही होगी।
- 17. कोई भी छात्रावासी परिसर में रैगिंग में सिम्मिलित नहीं होगा अथवा किसी भी रूप में रैगिंग को बढ़ावा अथवा उसके निमित्त सहायता नहीं देगा, छात्रावास में रैगिंग को आपराधिक गतिविधि समझा जायेगा तथा लिप्त छात्रों को विश्वविद्यालय प्रवेशार्थी निर्देशिका में उल्लिखित अनुशासनों के नियमों के अधीन दण्डित किया जायेगा।
- 18. किसी भी छात्रावासी छात्र/छात्रा को छात्रावास में किसी भी तरह की राजनैतिक गतिविधियों अथवा राजनैतिक क्रिया कलापों के लिये प्रचार सामग्री, होर्डिग्स, बैनर, पोस्टर, प्लेकार्ड, स्टिकर्स इत्यादि को लगाने या संग्रह करने की अनुमित नहीं होगी।
- 19. छात्राओं द्वारा रिकार्ड बुक में जो भी सूचनाऐं दी जाती है उनके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगी। सूचना किसी भी प्रकार से असत्य एवं गलत पाये जाने पर सम्बन्धित छात्रा के विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 20. कोई भी छात्रावासी किसी भी व्यक्ति का उत्पीड़न, उसके सम्मान को ठेस पहुँचाने तथा यौन उत्पीड़न जैसे कृत्यों में संलिप्त नहीं होगा क्योंकि यह कृत्य जघन्य अपराध की श्रेणी में आते हैं।
- 21. सभी छात्रावासी छात्र/छात्राओं को अपने माता-पिता व अभिभावक के पत्र व्यवहार के पते में किसी भी परिवर्तन की सूचना तत्काल छात्रावास अधीक्षक कार्यालय में देनी होगी।
- 22. यदि कोई छात्रावासी पूर्णकालिक/अंशकालिक अथवा तदर्थ रोजगार के तहत कमाई करता/करती है तो इसकी सूचना तत्काल छात्रावास अधीक्षक/अधीक्षिका को आवश्यक रूप से देनी होगी।

- 23. All boarders are required to route their complaint and grievances through proper channel, through the Warden in-charge of the hostel concerned to the Grievance Committee. In case, a boarder might choose to approach University authorities directly and without the knowledge of the Warden or take the matter to the press or politicize the matter in any manner whatsoever, the same shall be treated to be indiscipline and shall be punished under the discipline rules of the hostel/University.
- 24. The rules of residence specified above shall be binding on all boarders and any breach of the same shall be treated as indiscipline punishable under the discipline rules of the hostel/University.25. All other rules made by the University and orders passed by the hostel administration from time to time shall be binding on all boarders and a breach of the same shall also be treated as indiscipline punishable under the discipline rules of the hostel/University.
- 26. All rooms and other built areas in the premises of all hostels are subject to periodic search and inspection by the hostel administration and other authorities of the University. Any irregularity on the part of a boarder noticed during the said search/inspection shall be deemed to be a breach of the rules of residence in the hostel and shall be punished under the discipline rules of the hostel/University.
- 27. The hostel administration, after giving a fair opportunity of being heard, may remove or expel a boarder from the hostel at any time in the interest of the maintenance of discipline.
- 28. All boarders shall have to vacate the hostel within 5 days from the date of the completion of their annual examinations.
- 29. All hostels shall remain closed during summer vacations and the boarders shall be required to vacate the hostels during the summer vacations. However, the Warden may permit a research scholar to continue living in the hostel during summer vacations on the written recommendation of his/her research Supervisor/Head.
- 30. Boarders are advised to read the hostel notice board regularly to remain aware of the communications issued by the Warden.
- 31. The Hostel caution money, deposited by a boarder at the time of admission, shall be refunded after making such deductions as might be deemed necessary for compensating any loss or damage to the hostel property caused by the boarder by way of a cheque within one year from the date of vacating the hostel. If the refund of Caution Money may not be claimed within the said period of one year, the same shall lapse and shall not be refunded.
- 32. If the mess facility is available in the hostel, all the hostellers of that hostel shall have to take meal from the mess compulsorily.
- 33. Though efforts will be made to provide comfortable stay facilities in hostels, no hostler should insist and expect for hand-on comfort.
- 34. Under special circumstances hostlers may be asked to vacate hostel at any time without any prior intimation.

Anti-Ragging Committee of University.

Hon'ble Vice Chancellor 1. Chairman of the Committee 2. Registrar, HNB Garhwal University Member 3. D.S.W. HNB Garhwal University Member 4. Chief Proctor, HNB Garhwal University Member 5. Chief Warden, HNB Garhwal University Member 6. All Warden, HNB Garhwal Univesrity Member 7. Dean/Head/Research Supervisor of the Concern dept. Member 8. SHO, Srinagar Garhwal Member

- 23. सभी छात्रावासियों को चाहिये कि वह किसी भी प्रकार की शिकायत सम्बन्धित छात्रावास अधीक्षक/अधीक्षिका के माध्यम से ग्रीवन्स कमेटी को प्रेषित करें। यदि कोई भी छात्रावासी छात्रावास प्रशासन को सूचित किये बिना सीधे विश्वविद्यालय प्रशासन से सम्पर्क करता है और ऐसे मामलों को प्रेस में ले जाता है अथवा इसका राजनीतिकरण करता है तो उसके विरूद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 24. सभी छात्रावासी उपरोक्त नियमों के अधीन छात्रावास में निवास करेगें तथा ऐसा न करने की दशा में वे छात्रावास/विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही एवं दण्ड के भागीदार होंगे।
- 25. छात्रावासियों को समय-समय पर छात्रावास प्रशासन व विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा जारी किये गये नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
- 26. समय-समय पर छात्रावास प्रशासन अथवा विश्वविद्यालय के अधिकारियों के द्वारा छात्रावासों का औचक निरीक्षण किया जाता है, यदि उस दौरान कोई छात्रावासी छात्रावास नियमों का उल्लघंन करते हुये पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही कर उसे छात्रावास से निष्कासित भी किया जा सकता है।
- 27. किसी भी छात्रावासी को निष्पक्षतापूर्वक अपना पक्ष रखने का अवसर देते हुए छात्रावास प्रशासन छात्रावास में शान्ति तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए उसे निष्कासित करने का निर्णय ले सकता है।
- 28. छात्रावासी छात्र/छात्रा को परीक्षा समाप्ति के 5 दिन के अन्दर छात्रावास खाली करना होगा।
- 29. ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान छात्रावास पूर्णत: बन्द रहेंगे। यदि कोई शोधार्थी छात्रावास में रहना चाहते हैं तो उन्हें अपने शोध निर्देशक/विभागाध्यक्ष से इस आशय का संस्तुति पत्र छात्रावास अधीक्षक को उपलब्ध कराना होगा।
- 30. सभी छात्रावासियों को चाहिये कि वह छात्रावास सूचना पट्ट पर अंकित/प्रर्दर्शित सूचनाओं का नियमित रूप से अवलोकन करें ताकि वे छात्रावास अधीक्षक द्वारा जारी सूचनाओं से अवगत हो सकें।
- 31. छात्रावासियों का जमा प्रतिभूति शुल्क छात्रावास में निवास के दौरान छात्रावासी द्वारा किसी भी हानि (यदि कोई हो तो) का आंकलन कर उसकी क्षतिपूर्ति करते हुए शेष धनराशि छात्रावास छोड़ने के एक वर्ष के भीतर चैक द्वारा वापस की जायेगी। यदि छात्र द्वारा एक वर्ष के भीतर प्रतिभूति धनराशि वापसी का आवेदन नहीं किया जाता है तो तत्पश्चात् धनराशि वापस नहीं की जायेगी।
- 32. छात्रावासों में यदि भोजन हेतु मेस की व्यवस्था की जाती है तो सभी छात्रावासियों को छात्रावास मेस में ही भोजन करना आवश्यक होगा।
- 33. यद्यपि छात्रावासों में समुचित सुविधा दिये जाने के प्रयास किये जायेंगे, परन्तु किसी भी छात्रावासी को कोई भी सुविधा हाथों-हाथ दिये जाने के लिए न तो दबाव देना चाहिये और न ही उम्मीद करनी चाहिये।
- 34. विशेष परिस्थितियों में बिना किसी पूर्व सूचना के छात्रावासी छात्र/छात्राओं से छात्रावास किसी भी समय खाली कराया जा सकता है।

एन्टी-रैगिंग कमेटी, हे.न.ब. गढ़वाल विश्वविद्यालय

1. अध्यक्ष (समिति)	कुलपति
2. कुलसचिव, हे.न.ब. गढ़वाल विश्वविद्यालय	सदस्य
3. अधिष्ठाता छात्र कल्याण, हे.न.ब. गढ़वाल विश्वविद्यालय	सदस्य
4. मुख्य नियन्ता, हे.न.ब. गढ़वाल विश्वविद्यालय	सदस्य
5. मुख्य छात्रावास अधीक्षक, हे.न.ब. गढ़वाल विश्वविद्यालय	सदस्य
6. सम्बन्धित संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/शोध निर्देशक	सदस्य
7. समस्त छात्रावास अधीक्षक, हे.न.ब. गढ़वाल विश्वविद्यालय	सदस्य
8. एस.एच.ओ., श्रीनगर गढ़वाल (कोतवाली, श्रीनगर)	सदस्य

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION

Bahadurshah Zafar Marg,New Delhi 110 002 UGC regulations on curbing the menace of ragging in Higher Educational Institutions, 2009.

(under Section 26 (1)(g) of the University Grants Commission Act, 1956) (TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA PART III, SECTION-4) F.1-16/2007(CPP-II) Dated 17th June, 2009.

What constitutes Ragging.- Ragging constitutes one or more of any of the following acts:

- 1. Any conduct by any student or students whether by words spoken or written or by an act which has the effect of teasing, treating or handling with rudeness a fresher or any other student;
- 2. indulging in rowdy or indisciplined activities by any student or students which causes or is likely to cause annoyance, hardship, physical or psychological harm or to raise fear or apprehension thereof in any fresher or any other student;
- 3. asking any student to do any act which such student will not in the ordinary course do and which has the effect of causing or generating a sense of shame, or torment or embarrassment so as to adversely affect the physique or psyche of such fresher or any other student;
- 4. Any act by a senior student that prevents, disrupts or disturbs the regular academic activity of any other student or a fresher;
- 5. Exploiting the services of a fresher or any other student for completing the academic tasks assigned to an individual or a group of students.
- 6. Any act of financial extortion or forceful expenditure burden put on a fresher or any other student by students;
- 7. Any act of physical abuse including all variants of it: sexual abuse, homosexual assaults, stripping, forcing obscene and lewd acts, gestures, causing bodily harm or any other danger to health or person;
- 8. Any act or abuse by spoken words, emails, post, public insults which would also include deriving perverted pleasure, vicarious or sadistic thrill from actively or passively participating in the discomfiture to fresher or any other student;
- 9. Any act that affects the mental health and self-confidence of a fresher or any other student with or without an intent to derive a sadistic pleasure or showing off power, authority or superiority by a student over any fresher or any other student.

कौन से कार्य/व्यवहार/आचरण को रैगिंग का दर्जा दिया जा सकता है?

रैंगिंग किसी भी निम्नलिखित कत्यों में से एक या एक से अधिक का गठन है:

- 1. कोई भी आचरण किसी भी छात्र या छात्रों द्वारा, चाहे शब्दों द्वारा बोली जाने वाली या लिखित या जिससे चिढ़ाने, अशिष्टता या कोई गलत हरकत का प्रभाव पडता हो, चाहे फिर वो कोई नया छात्र हो या पराना, रैगिंग ही माना जायेगा।
- 2. कोई भी नया छात्र पुराने छात्र या छात्रों द्वारा उपद्रवी या अनुशासनहीन गतिविधियों का शिकार बनता है या उनकी किसी भी हरकत से झुंझलाहट, कठिनाई, शारीरिक परेशानी या मनौवैज्ञानिक नुकसान, भय या आशंका तत्संबंधी पैदा होने की संभावना हो तो इन हरकतों को रैगिंग का दर्जा दिया जा सकता।
- 3. किसी भी छात्र को कोई भी ऐसा कार्य करने को कहना जिससे उसे पीड़ा या शर्मिंदगी की भावना का सामना करना पड़े, या छात्र की मानसिकता पर प्रतिकृल असर हो।
- 4. एक वरिष्ठ छात्र द्वारा किसी भी नवसिखुआ छात्र या अन्य छात्र के नियमित शैक्षिक गतिविधि को बाधित, या परेशान करने वाला कार्य।
- 5. एक व्यक्ति या छात्रों के समह के शैक्षिक कार्यों को परा करने के लिए किसी भी नवसिखआ छात्र या अन्य छात्र की सेवाओं का शोषण।
- 6. कोई भी ऐसी हरकत जो वरिष्ठ छात्रों द्वारा किसी भी नए छात्र या अन्य छात्रों पर जबरन वित्तीय वसूली या सशक्त खर्च बोझ का कोई भी भार डाले।
- 7. शारीरिक शोषण के सभी प्रकार; यौन शोषण का कोई भी अधिनियम, समलैंगिक हमले, अलग करना, अश्लील और भद्दा कृत्य, इशारों द्वारा मजबुर व्यक्ति को शारीरिक या स्वास्थ्य नुकसान या किसी अन्य खतरे का कारण।
- 8. कोई भी हरकत, बोले गए शब्दों, ईमेल, पोस्ट, सार्वजनिक अपमान द्वारा अधिनियम के दुरूपयोग से विकृत खुशी पाना या कामुक रोमांच में सिक्रय या निष्क्रियता से किसी भी नए व पुराने छात्र की असहजता में भाग लेने से रोमांच मिलना।
- 9. कोई भी कार्य जो कि एक नवागन्तुक या किसी भी अन्य छात्र के मानिसक स्वास्थ्य और आत्मिवश्वास को प्रभावित करता है, कोई भी छात्र किसी भी नविसखुआ या किसी अन्य छात्र पर कामुक प्राप्त करने के लिए खुशी, बंद शिक्त या श्रेष्ठता का अधिकार दिखा रहा हो।